# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 4337/2010**

राजेन्द्र प्रसाद **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर, राजस्थान।
3. महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुख्यालय झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. गोविन्द गुप्ता उपमहानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 24.12.2010
**आदेश की दिनांक** : 19.02.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.10.1989 (अनुलग्नक–1) द्वारा कानिस्टेबल के पद पर हुई एवं बेल्ट नं. 910 आवंटित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.1993 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी की प्रार्थना पर उपमहानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय जयपुर के आदेश दिनांक 29 जुलाई 1993 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पुलिस कानिस्टेबल जिला बीकानेर से राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो जयपुर मे किया गया एवं आदेश दिनांक 14.09.1993 द्वारा अपीलार्थी को ब्यूरो में बेल्ट न. 16 आवंटित किया गया। अपीलार्थी का पदस्थापन 09.09.1993 से 20.09.1993 तक मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर रहा। तत्पश्चात् अपीलार्थी का पदस्थापन राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा चौकी श्रीगंगानगर किया गया। यहां पर अपीलार्थी दिनांक 02.09.1993 से फरवरी 1995 तक पदस्थापित रहा। इसके पश्चात अपीलार्थी ब्यूरो चौकी नागौर में मार्च 1995 से मार्च 1997, ब्यूरो चौकी हनुमानगढ में मार्च 1997 से अप्रेल 2004, ब्यूरो चौकी राजसमंद में मई 2004 से जूलाई 2005 तक पदस्थापित रहा। अपीलार्थी का पदस्थापन ब्यूरो चौकी गंगानगर में होने से अपीलार्थी जुलाई 2005 से यथावत कानिस्टेबल के पद पर कार्यरत रह कर अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से सम्पन्न कर रहा है। अपीलार्थी की कानिस्टेबल पद की सेवा का लियन मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के अधीन है। अपीलार्थी का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में स्थानान्तरण होने के पश्चात्

कानिस्टेबल पद की वरिष्ठता भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ही संधारित की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 01.04.2010 की स्थिति अनुसार जारी वरिष्ठता सूची अनुलग्नक–3 पर अवलोकनीय है। श्री ओकारदत्त पटवारी जिसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी श्रीगंगानगर द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के मामले में ट्रेप किया गया। इस प्रकरण में अपीलार्थी की सबूत एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उससे सबंधित मामले का प्रत्यर्थी संख्या–4 निस्तारण कर आरोपी ओकारदत्त पटवारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही से मुक्त करने की नियत रखते है इस सिलसिले में अपीलार्थी को कई बार ओकारदत्त पटवारी के मामले से संबधित गवाहान को मनाने/राजी करने एवं ओंकारदत्त के पक्ष में बयान करवाने की कोशिश करने हेतु मौखिक रूप से कहा गया अपीलार्थी ने उक्त प्रकार की कार्यवाही बाबत स्पष्ट मना कर दिया गया इससे प्रत्यर्थी संख्या–4 अपीलार्थी से व्यक्तिगत नाराजगी एवं रंजिश रखते है। प्रत्यर्थी संख्या–4 के दबाव पर प्रत्यर्थी संख्या–3 ने दिनांक 24.06.2010 (अनुलग्नक–4) को अपीलार्थी का स्थानान्तरण तत्काल पैतृक जिला बीकानेर में किये जाने की अनुशंषा प्रत्यर्थी संख्या–2 को की गई। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22.12.2008 (अनुलग्नक–5) द्वारा पुलिस दिवस वर्ष 2008 के उपलक्ष्य में मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर द्वारा उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। अपीलार्थी की सेवा का लियन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधीन है एवं अपीलार्थी का गृह जिला हनुमानगढ है। अपीलार्थी के संबंध में महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ने आदेश दिनांक 2/7.07.2010 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी कानिस्टेबल न.16 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को अग्रिम आदेश तक जिला बीकानेर में तत्काल प्रभाव से कानिस्टेबल पुलिस पद पर अटैच कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 09.07.2010 (अनुलग्नक–7) द्वारा पुलिस अधीक्षक बीकानेर के समक्ष उपस्थिति हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 2/7.07.2010 एवं 09.07.2010 के अनुसरण में पदस्थापित स्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी श्रीगंगानर से दिनांक 15.07.2010 (अनुलग्नक–8) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है तथा लम्बे समय से स्लिप डिस्क से ग्रस्त है अपीलार्थी स्वास्थ्य लाभ हेतु चिकित्सा अवकाश पर है तथा अपीलार्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर के समक्ष कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा मनमानी एवं दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पूर्ण जिम्मेदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से अपना उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहा है। प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.07.2010, 09.07.2010 एवं 15.07.2010 (अनुलग्नक–6 से 8) राजस्थान सिविल सेवा नियम (स्पेशल सलेक्शन) एंड स्पेशल कंडीशन ऑफ सर्विस इन एन्टी क्रप्शन डिपार्टमेंट नियम 1978 के नियमों की अवहेलना में पारित होने से निरस्त योग्य है। ब्यूरों में अपीलार्थी की सेवाएं अति उत्तम एवं सराहनीय रही है। अपीलार्थी का नियंत्रक अधिकारी महानिदेशक भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो है। अतः महानिदेशक पुलिस द्वारा जारी आदेश क्षेत्राधिकार से परे है। इस आधार पर आदेश दिनांक 07.07.2010 निरस्त योग्य है। आलोच्य आदेश से अपीलार्थी को उसके गृह जिले बीकानेर में जिला पुलिस अधीक्षक में अटेच किया है, जबकि अपीलार्थी का गृह जिला हनुमानगढ है एवं अपीलार्थी ब्यूरो का कर्मचारी होने से ब्यूरो की किसी चौकी में स्थानान्तरण/अटेचमेंट किया जा सकता है। अतः आलोच्य आदेश नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 2/7.07.2010, 09.07.2010 एवं 15.07.2010 (अनुलग्नक–6 से 8) को निरस्त फरमाकर राजस्थान सिविल सेवा नियम (स्पेशल सलेक्शन एंड स्पेशल कंडीशन ऑफ सर्विस इन एन्टी क्रप्शन डिपार्टमेंट) 1978 के तहत अपीलार्थी को यथावत कानि. के पद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के अधीन पदस्थापित रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 16.10.1989 को जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के यहां कानि. के पद पर हुई थी। अपीलार्थी का स्थानान्तरण दिनांक 28.08.1993 को स्वयं की प्रार्थना के आधार पर जिला बीकानेर से राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में किया गया। ब्यूरो में पदस्थापन के दौरान अपीलार्थी ने अपने पद की मर्यादा का उल्लघंन किया। अपीलार्थी के विरूद्व पटवारी ओंकार दत्त के द्वारा शिकायत किए जाने के उपरान्त शिकायत का सत्यापन उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जोधपुर से करवाया गया। उपमहानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जोधपुर ने अपीलार्थी के विरूद्व नियमानुसार दौराने जांच अपीलार्थी द्वारा पटवारी श्री ओंकार दत्त से 40,000/– रूपये की मांग करना एवं 25,000/– रूपये प्राप्त करना पाया गया। इस सत्यापन प्रतिवेदन के परीक्षणोपरान्त मुख्यालय स्तर से अपीलार्थी के विरुद्व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय लेते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण उनके पैतृक जिला बीकानेर में करने हेतु महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय को दिनांक 24.06.2010 के द्वारा लिखा गया। महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्समय स्थानान्तरण पर प्रतिबंध के चलते अपीलार्थी के स्थानान्तरण की एवज में अपीलार्थी का अटेचमेन्ट पैतृक जिला बीकानेर में आदेश दिनांक 02.07.2010 के द्वारा किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय द्वारा अपीलार्थी को पैतृक जिला बीकानेर के लिये कार्यमुक्त करने हेतु आदेश दिनांक 09.07.2010 को अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक गंगानगर को निर्देश दिये गये। अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, गंगानगर ने मुख्यालय की कार्यमुक्ति आदेश के अनुसरण में आदेश दिनांक 15.07.2010 के द्वारा दोपहर बाद पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के यहां उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया।

उक्त कार्यवाही सम्पूर्ण नियमानुसार की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं अनुशीलन किया गया।

प्रकरण के तथ्य यह है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पुलिस कांस्टेबल के पर पर पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा आदेश दिनांक 16.10.1989 द्वारा की गई एवं अपीलार्थी के निवेदन पर पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 29.07.1993 द्वारा उसका स्थानान्तरण राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरों में किया गया एवं तब से अपीलार्थी ब्यूरो के अधीन कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 2/07.07.2010 द्वारा पुलिस मुख्यालय द्वारा उसको जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर के कार्यालय में अटेच करने के आदेश होने पर उसे आदेश दिनांक 09.07.2010 एवं दिनांक 15.07.2010 द्वारा ब्यूरों से कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की गई। अधिकरण में अपील दायर होने पर अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.03.2011 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 02.07.2010, 09.07.2010 एवं 15.07.2010 को अपील के निर्णय तक स्थगित किया गया। जिससे अपीलार्थी ब्यूरों में कार्यरत रहा। अपीलार्थी ने इन तीनों आलौच्य आदेश दिनांक 02/07.07.2010, 09.07.2010 एवं 15.07.2010 को अपास्त कर ब्यूरो के अधीन पदस्थापन रखे जाने का अनुतोष चाहा है।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 02/07.07.2010 (सही तिथि 02.07.2010) को निम्न आधारों पर नियम विरूद्ध बताया हैः—

(i) अपीलार्थी की सेवा का लियन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के अधीन है। अतः उसे जिला पुलिस बीकानेर में अटेच किया जाना नियम विरूद्ध है। उसे ब्यूरो की किसी भी चौकी पर पदस्थापन/अटेचमेंट किया जा सकता है।

(ii) अपीलार्थी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कार्मिक होने से उसके नियंत्रक अधिकारी महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है। अतः पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश क्षेत्राधिकार से परे जाकर जारी किया गया है।

(iii) ब्यूरो द्वारा संधारित वरिष्ठता सूची में भी अपीलार्थी का नाम दर्ज है। वरिष्ठता सूची में विभाग में नियमित नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम ही दर्ज किया जाता है।

(iv) ब्यूरों में अपीलार्थी की सेवाएं अति उतम एवं सराहनीय रही है एवं उसे पुलिस दिवस 2008 पर ब्यूरों द्वारा दिनांक 22.12.2008 को उतम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया है।

(v) आलौच्य आदेश ''राजस्थान सिविल सेवा नियम (स्पेशल सलेक्शन एंड स्पेशल कंडीशन ऑफ सर्विस इन एन्टी क्रप्शन डिपार्टमेंट) 1978 के प्रावधानों के उल्लंघन में जारी किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार आदेश दिनांक 27.07.1993 द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर उसका स्थानान्तरण जिला बीकानेर से राजस्थान राज्य अन्वेषण

ब्यूरों में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ब्यूरों में पदस्थापित अस्थाई कानि. की दिनांक 01.09.1994 के आधार पर जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 282 पर अंकित है। दिनांक 01.04.2005 के आधार पर जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 200 पर अंकित है। इसी प्रकार दिनांक 01.04.2006 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 198 पर दिनांक 01.04.2007 के आधार पर जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 198 पर, दिनांक 01.04.2008 के आधार पर जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 193 पर, दिनांक 01.04.2009 के संदर्भ में जारी स्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 187 एवं दिनांक 01.04.2010 के संदर्भ में जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 180 पर एवं दिनांक 01.04.2013 के संदर्भ में जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 163, दिनांक 01.04.2014 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 156 पर एवं दिनांक 01.04.2015 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 137 पर एवं दिनांक 01.04.2018 के संदर्भ में जारी स्थाई वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 96 पर अपीलार्थी का नाम अंकित है। स्पष्ट है कि ब्यूरों द्वारा कानि. हेतु संधारित वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम अंकित है।

किसी भी विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची का संधारण उच्चतर पदों पर पदोन्नति एवं कॉडर प्रबंधन के लिए किया जाता है। राज्य अन्वेषण ब्यूरो (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) में विशेष चयन से कार्मिकों का पदस्थापन होता है जो निश्चित समयावधि के लिए होता है। अतः ब्यूरों में पदोन्नति का प्रावधान नहीं है। लिहाजा ब्यूरों द्वारा वरिष्ठता सूची का निर्धारण सम्भवतः कार्मिकों के सामान्य प्रबंधन के लिए किया जाता है।

अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service of Additional Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police and Others in the Anti-Corruption Department) Rules, 1978 का उल्लंघन कर आदेश पारित करने के आधार पर आलौच्य आदेश अपास्त करने का निवेदन किया है। उक्त नियम 1978 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ब्यूरों में अधिकारियों एवं अन्य कार्मिकों का चयन इन नियमों में गठित चयन समिति द्वारा इस नियम की अनूसूची–। में वर्णित पदों पर कार्यरत कार्मिकों से किया जाता है। ब्यूरों में स्वीकृत पदों हेतु पृथक से नियमित रूप से भर्ती या पदोन्नति का प्रावधान नहीं है।

नियम 1978 के संबंधित प्रावधान नीचे उद्धत किए जा रहे हैः–

"6. **Tenure**.- (1) The posts of Additional Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police and other categories of posts mentioned in Column 2 of Schedule I in the Anti-Corruption Department shall be tenure posts and shall be held by a person for a tenure ordinarily not exceeding three years and he shall cease to hold such post after the expiry of this period:

Provided that the Government may extend such period by a further period not exceeding three years.

(2) All appointments to the posts of Additional Superintendents of Police, Deputy Superintendents of Police and other categories mentioned in column 2 of Schedule I in the Anti-Corruption Department shall be deemed to be on transfer from the Police Department and the officers/officials concerned shall have lien on their respective posts in the Police Department and on their reversion from such transfer they shall not have any right to protection of pay or scale of pay or status held by them as Additional Superintendent of Police, or Deputy Superintendent of Police or others, as the case may be, mentioned in Column 2 of Schedule I in the Anti-Corruption Department unless otherwise provided in these rules.

(3) The Appointing Authority may revert an officer/official holding the post of Additional Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police or other categories, as the case may be, mentioned in Column 2 of Schedule I in the Anti-Corruption Department to the Police Department without assigning any reasons.

**7. Source of selection**.- Selection for appointment to the posts of the Additional Superintendent of Police, the Deputy Superintendent of Police and other posts, as the case may be, mentioned in Column 2 of Schedule I in the Anti-Corruption Department after the commencement of these Rules shall be made on the recommendations of the Committee from amongst the officers/officials mentioned in Column 3 of Schedule I, who hold lien on a post in the Police Department:"

Provided that persons holding the posts mentioned in Column 2 of Schedule I in the Police Department and who are willing to be posted in the Anti-Corruption Department, may be considered for their posting, by the Appointing Authority, on the same post in the Anti-Corruption Department subject to the condition that they shall draw pay in the pay-scale admissible to them in the Police Department."

नियम 1978 में Appointing Authority को भी परिभाषित किया गया है। जो निम्नानुसार है:—

''3**(a) "Appointing Authority"** means the Government of Rajasthan in respect of the Additional Superintendent of Police and the Deputy Superintendent of Police and the Inspector General of Police, Rajasthan in respect of Inspector of Police, Sub-Inspector of Police, Assistant Sub-Inspector of Police and Head Constable in the Anti-Corruption Department;"

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी के प्रकरण में उसका लियन पुलिस विभाग में ही रहेगा एवं नियुक्ति प्राधिकारी पुलिस विभाग होगा। जो कभी भी उसे ब्यूरो से पुलिस विभाग में वापस भेज सकता है।

उक्त नियम 1978 के अनुसूची II में यह स्पष्ट किया है कि ब्यूरों में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति उनके मूल कॉडर (Parent cadre) में ही होगी।

**"Schedule-ii**

(2) Promotion in the parent cadre. - The Officer concerned shall be eligible to proforma promotion (Officiating or Substantive) in the parent cadre whenever an occasion arises and his pay in the parent cadre shall be arrived at after taking into consideration the period during which he would have held the promotion post but for his appointment in the Anti-Corruption Department, provided that if he is promoted as such in the pay scale similar or higher than the pay scale of the post in the Anti-Corruption Department the increment, drawn by him as such would be protected and rule 26 (2) of the Rajasthan Service Rules, 1951 shall apply in such cases also for fixation of pay."

सेवा नियम 1978 के प्रासंगिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ब्यूरों हेतु किसी कार्मिक के चयन से नियुक्ति की दशा में यह पुलिस विभाग से ब्यूरों मं स्थानान्तरण माना जायेगा एवं उसका पुलिस विभाग में मूल पद पर लियन रहेगा। उसकी पदोन्नति भी मूल विभाग में ही होगी। नियुक्ति अधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी भी कार्मिक को ब्यूरों से पुलिस विभाग में बिना कोई कारण बताये वापिस भेज सकेगा। कांस्टेबल के प्रकरण में नियुक्ति अधिकारी महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान है। ब्यूरों में चयन हेतु संबंधित कार्मिक की Integrity मुख्य मानदण्ड है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब कि अनुसार अपीलार्थी का आचारण विभाग की मर्यादा के अनुसार नहीं होने, उसके द्वारा किसी प्रकरण में रिश्वत मांगने तथा लेने की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के तहत जांच प्रस्तावित की जाकर उसे ब्यूरो से हटाने हेतु पुलिस मुख्यालय को निवेदन किया गया था।

उक्त विवेचन के अनुसार नियुक्ति अधिकारी (महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान) अपीलार्थी को ब्यूरों से वापिस पुलिस विभाग को भेजने के लिए पूर्णतः सक्षम प्राधिकारी है। .परन्तु आलौच्य आदेश दिनांक 07.07.2010 (अनुलग्नक–6) मूल विभाग में वापिस भेजने के बजाय अग्रिम आदेश तक जिला बीकानेर में अटेच किया गया एवं उसकी अनुपालना में आदेश दिनांक 09.07.2010 (अनुलग्नक–7) एवं 15.07.2010 (अनुलग्नक–8) द्वारा ब्यूरों से कार्यमुक्त करने की कार्यवाही की गई। अधिकरण के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.03.2011 द्वारा तीनों आलौच्य आदेशों को अपील के निर्णय तक स्थगित किया है, जिसके प्रभाव से अपीलार्थी ब्यूरों में कार्यरत है।

आलौच्य आदेश दिनांक 02.07.2010 द्वारा अपीलार्थी को Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service of Additional Superintendent of Police, Deputy Superintendent of Police and Others in the Anti-Corruption Department) Rules, 1978 के प्रावधानों के अनुसर मूल (पुलिस) विभाग में वापिस भेजने के बजाय अग्रिम आदेश तक जिला बीकानेर में अटेच किया गया है जबकि प्रत्यर्थी विभाग से अपेक्षित था कि वह अपीलार्थी को उसके मूल (पुलिस) विभाग में वापिस (Revert) किया जाता। अतः आदेश दिनांक 02.07.2010 नियम 1978 के प्रावधानों के सुसंगत नहीं है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य

आदेश दिनांक 02.07.2010, 09.07.2010 एवं 15.07.2010 को अपास्त किया जाता है एवं अधिकरण के अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.03.2011 को पुष्ट (Confirm) किया जाता है, परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर वर्तमान प्रभावी नियम/प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को उसके मूल विभाग में वापिस भेजने (Revert) की कार्यवाही की जाती है, तो उसमें यह आदेश बाधक नहीं होगा।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**